Nadu, Karnataka Gujarat, U.p. and Union Territory of Delhi with a total outlay of Rs.3.57 crores. The Pesticide Development Centre, Gurgaon managed by Hindustan Insecticides Ltd. is also "engaged in formulation of bio-pesticides. Its annual budget is Rs. 28 lakhs.

प्रौद्योगिकी आयातों को कम करने का आह्वान

1628. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री रणजीत सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अप्रैल, 1991 के "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" में "कालटू रिड्यूस टैक्नालाजी इम्पोर्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात और निर्यात में भारी अंतराल है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी विदेशी औद्योगिक प्रौद्योगिकियां आयात और निर्यात की गई; और

(घ) क्या सरकार आगामी वर्षों में प्रौद्योगिकी निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कदम उठा रही है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशी सहयोग के लिए दी गई स्वीकृति, जिसमें अन्तर्ग्रस्त विदेशी निवेश शामिल है, की संख्या और विदेश में भारतीय संयुक्त उद्यमों की संख्या और 31-12-90 को पूर्ण स्वामित्व वाले सहायता प्राप्त उद्यमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग प्रौद्योगिकियों एवं सेवाओं के निर्यात से संबंद्ध संबर्धनात्मक एवं सहायक कार्यकलापों के उद्देश्य से तकनालाजी में अंतरण तथा ट्रेनिंग नामक एक स्कीम पहले से चला रहा है। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(i) विकासशील देशों के लिए तकनालाजी प्रोफ़ाइल तैयार करने में सहायता देना ;

(ii) तक्नालाजी निर्यात, क्वालिटी कंशर; आदि के औद्योगिक एककों की योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करने में सहायता देना ;

(iii) चुनिंदा देशों में निर्यात-योग्य भारतीय प्रौद्योगिकियों का सीधा प्रदर्शन हेतु प्रबंध ।

विवरण

I. विदेशी सहयोग के लिए दी गई स्वीकृतियों की संख्या :

वर्ष	विदेशी सहयोग के लिए दी गई स्वीकृतियों की संख्या	ऐसी स्वीकृतियों की संख्या जिसमें विदेशी निवेश अंतर्ग्रस्त है (कालम-2 में दर्शाये गये आंकड़ों में से)
(1)	(2)	(3)
1989	605	194
1990	666	194

II. विदेश में भारतीय संयुक्त उद्यमों और पूर्णतया स्वामित्व वाले सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या :

	भारतीय संयुक्त उद्यम		पूर्णतया स्वामित्व वाले सहायता प्राप्त उद्यम	
	चालू	कार्यान्वयन के अधीन	चालू	कार्यान्वयन के अधीन
31-12-90 को	159	55	42	12

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में सांप्रदायिक तत्व

1629. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :

मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में इसके कर्मचारी साम्प्रदायिक संगठनों और संस्थाओं के सदस्य हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के कई कर्मचारी साम्प्रदायिक संगठनों के साथ पोशीदा संबंध रखते हैं और वे सेवा निवृत्ति के पश्चात् उन दलों और संगठनों के सदस्य बन जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है और निकट भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) से (घ) सरकारी कर्मचारियों को उन साम्प्रदायिक संगठनों तथा उनकी शाखाओं/संबद्ध निकायों का सदस्य बनने अथवा उनसे अपना संबंध रखने की मनाही है जिनके कार्यकलाप राजनीतिक स्वरूप के अथवा विध्वंसकारी हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो इन संगठनों का सदस्य है अथवा इनकी गतिविधियों से अन्यथा रूप से जुड़ा हुआ है, अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। ये प्रतिबंध सेवा-निवृत्ति के पश्चात् सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं।

Manufacturing of arms by Ordnance factories for civil ■ market

1630. SHRI SOM PAL

SHRIMATI MIRA DAS:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:.

(a) whether Government are aware that small arms meant for supply to the civil market and being manufactured by the Ordnance factories are in short supply and that these are being; sold in blackmarket at more than double the. official price; and

(b) if so, whether Government would consider increasing the production of such arms to meet this shortage and eliminate blackmarketing?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) Ordnance Factories' capacity for manufacture of small arms is, primarily, intended to cater to the requirements of the Defence, Paramilitary and Central/State Police Forces.